भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2771

(जिसका उत्तर सोमवार, 21 मार्च, 2022/30 फाल्गुन, 1943 (शक) को दिया गया)

ई-कॉमर्स कंपनियां

2771. श्री एस.आर.पार्थिबन:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में ई-कॉमर्स कंपनियां अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक कीमत-निर्धारण में लिप्त पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाखों छोटे खुदरा विक्रेताओं को इस अवैध चलन से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ('आयोग') को कुछ ई-कॉमर्स कंपनियों के विरूद्ध सूचना प्राप्त हुई है जिसमें, अन्य के साथ-साथ, अत्यधिक छूट/मनमाने ढंग से मूल्यनिर्धारण आदि का आरोप लगाया गया है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') की धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन है। इनमें से कुछ मामलों में, आयोग ने प्रथम दृष्टया अधिनियम का उल्लंघन पाया है और तद्नुसार मामले में जांच करने का निदेश देते हुए आदेश जारी किए हैं।

(ग): इस अधिनियम की धारा 4 अत्यधिक छूट/मनमाने ढंग से मूल्य निर्धारण सहित उद्यमों या उनके समूह द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरूपयोग का निषेध करती है। ई-कॉमर्स कंपनियां इस अधिनियम के उपबंधों की परिधि के तहत कवर होती हैं।

आयोग बाजार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा और निष्पक्ष प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाता रहा है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रासंगिक क्षेत्रों पर बाजार अध्ययन करना, आउटरीज पहलों की हिमायत करना, प्रतिस्पर्धा कानूनों व पद्धतियों पर रोड शो आयोजित करना, आईटी अवसंरचना का उन्नयन और प्रचालन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढाना, क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलना आदि शामिल हैं। आयोग ने विगत हाल में, ई-कॉमर्स की कार्यप्रणाली और बाजारों और प्रतिस्पर्धा के लिए इसकी विवक्षाओं को बेहतर तरीके से समझने के लिए "भारत में ई-कॉमर्स के संबंध में बाजार अध्ययन" कराया था। रिपोर्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा स्व-विनियमन के कुछ क्षेत्रों का उल्लेख करती है। इनमें सर्च रैंकिंग पैरामीटर्स में पारदर्शिता, प्लेटफॉर्मों द्वारा संगृहीत डाटा के वास्तविक एवं संभावित उपयोग पर स्पष्ट और पारदर्शी नीति, उपयोगकर्ता की समीक्षा और रेटिंग तंत्रों में पर्याप्त पारदर्शिता, अनुबंध की शर्तों में प्रस्तावित संशोधन से संबंधित व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए अधिसूचना, रियायत दर और रियायत स्कीमों में भागीदारी के बारे में स्वच्छ एवं पारदर्शी नीतियां शामिल हैं। यह रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट www.cci.gov.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

****